न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर जोधपुर ग्रामीण राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 64/2021

जीसीएमएस नं. :– 2021/49

प्रार्थी :–
मंगलाराम पुत्र बचनाराम जाति जाट निवासी खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तेजाराम पुत्र धीराराम (फौत) के कायम मुकाम :–
   1/1 धन्नाराम पुत्र तेजाराम
   1/2 बक्साराम पुत्र तेजाराम
   1/3 मुथरी पुत्री तेजाराम
   जातियान जाट निवासी खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. राजस्थान जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एलआर एक्ट

दर्ज तारीख :–05.02.2021

उपस्थित :
श्री मधुसुदन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री बक्तावर सिह जाखड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 17/09/25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.4369 हैक्टयर किस्म सेवज सोयम आयी हुई है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के खाता सं. 756 पर प्रार्थी खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के पूरब तरफ अप्रार्थी सं. एक की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.6310 हैक्टयर किस्म सेवज सोयम जमीन आयी हुई हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक की जमीन के दक्षिणी तरफ खांगटा से बासनी सड़क तक कटाणी रास्ता चलता है । प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत के मध्य पुरानी माठ कायम है जिसको अप्रार्थी खुर्द बुर्द करता आ रहा है तथा कई बार प्रार्थी ने समझाईस की लेकिन अप्रार्थी मान नही रहा हैं। जिसको लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक के मध्य कई बार कहासुनी भी हो गयी लेकिन अप्रार्थी सं. एक अपनी जमीन की पश्चिमी माठ को खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया तथा प्रार्थी के पूरब तरफ जमीन पर अतिकमण करने लग गया इस पर प्रार्थी ने कई बार अपनी अपनी जमीन का नाप चौप करवाने का कहा लेकिन अप्रार्थी सं. एक नाप चौप भी करवा रहा है इसलिए

17/9

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु अपनी जमीन का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है तथा प्रार्थी अपनी जमीन का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी अपनी जमीन के पत्थरगड्डी हेतु पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की पूरब माठ को अप्रार्थी ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन पर अतिकमण करने पर तुला हुआ हैं जिसको लेकर बार बार आपस में कहासुनी होती रही है तथा शांति भंग होने की सम्भावना है इसलिए प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप करवाकर अपनी वादग्रस्त आराजी के चारो कोनो पर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी दिनांक 28.01.2021 को अपनी खातेदारी जमीन का फेरा देने गये तो अप्रार्थी अपने साथ दो तीन अन्य व्यक्तियो को लिए बीच की माठ पर आये तथा प्रार्थी के पूरब दिशा में तारबन्दी व पट्टिया के टूकड़े को गिराने लग गये व माठ खुर्द बुर्द कर प्रार्थी की जमीन पर जोर जबरदस्ती अतिकमण करने की धमकी दी, जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप करवाकर सीमांकन करवार पत्थरगड्डी करवाना चाहता है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.4369 हैक्टयर जमीन का नाप चौप कर सीमांकन करवाया जाकर चारो कोनो पर पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर उनका जवाब बन्द किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर से जवाब प्रस्तुत किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 756 में खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.4369 हैक्टयर किस्म सेवज सोयम में मंगलाराम पुत्र बचनाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज हैं। उक्त खातेदारी खेत के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 1559 व बासनी सड़क स्थित है कि सीमा को लेकर विवाद होना बताया हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1554 का सीमाकंन कर पत्थरगड्डी की जाती है तो कोई आपति नही हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी, कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 1554 का नाप चौप करवाया जाकर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमाये

19/9/..
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा नम्बर 1554 है जिसका टीम गठित कर नापचौप कर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमाकंन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश दिया जाता हैं।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 19/09/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर